

मूल वाद में पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:- साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या  
48/16

दायरा दिनांक  
03.03.2016

निर्णय दिनांक  
27.09.2018

1 गंगाराम पुत्र बुद्धराम जाति अहीर निवासी कालुका तहसील मुण्डावर जिला अलवर

-वादी

बनाम

- 1 रामकरण पुत्र बुद्धराम
- 2 राजाराम पुत्र बुद्धराम
- 3 धर्मपाल पुत्र जयनारायण
- 4 महीपाल पुत्र जयनारायण
- 5 श्रवण देवी पत्नी जयनारायण
- 6 रमेश पुत्र रामपत
- 7 हीरालाल पुत्र रामपत
- 8 कमला बेवा रामपत जाति अहीर निवासीयांन कालूका तहसील मुण्डावर
- 9 श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील मुण्डावर अलवर
- 10 श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला-अलवर राज0

प्रतिवादीगण

दावा:-इस्तकरार हक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हु0द0

वादी की ओर से श्री सरजीत सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.09.2018 को साधू राम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निर्णय हेतु पेश होने पर, आदेश किया जाता है और आंशिक डिक्री दी जाती है कि-

"विवादीत आराजी ख0न0 214, 215, 216, 217, 218 वाके ग्राम कालूका ग्राम तहसील मुण्डावर मे प्रतिवादीगण रामकरण, राजाराम पुत्रान बुधराम एवं जयनारायण पुत्र बुधराम के वारिसान तथा रामपत पुत्र बुधराम के वारिसान अनुसार सम्भाग में गंगाराम पुत्र बुधराम के नाम का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे"

यह आज तारीख 27.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(साधुराम जाट)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर (मुण्डावर)